भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-790

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल ग्रामीण परिवार

790. श्री बैजयंत पांडाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर कार्यक्रम के अंतर्गत कितने ग्रामीण और शहरी परिवार कवर किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए क्या लक्ष्य हैं;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों और गैर-मेट्रो शहरी केंद्रों, विशेष रूप से उच्च घरेलू विद्युतीकरण कवरेज वाले जिलों में ग्रिड विश्वसनीयता का कोई हालिया आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अंतिम छोर तक डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्मार्ट मीटरिंग अपनाने के लिए उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 'राज्य डिस्कॉम' (वितरण कंपनियों) के साथ सहयोग कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार का नई मीटरिंग प्रणालियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए पंचायत स्तर के कर्मचारियों और स्थानीय वितरण ऑपरेटरों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करने का विचार है और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरूआत की है ताकि वितरण कंपनियों की प्रचालनात्मक क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाया जा सके और गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत प्रमुख पहलों में से एक उपभोक्ता स्मार्ट मीटरिंग है। आरडीएसएस के अंतर्गत, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से दिनांक 15.07.2025 तक 2.41 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए चुके हैं। शेष मीटर स्कीम की अवधि के अंत तक लगाए जाने का लक्ष्य है।

(ख) : विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करेगा। हालाँकि, आयोग कृषि जैसे कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे विनिर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और ग्रामीण तथा गैर-महानगरीय क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों पर लागू हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी स्कीम के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सम्पूरित किया है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से, ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे वित्त वर्ष 2014 के 12.5 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 22.6 घंटे हो गए हैं और शहरी क्षेत्रों में यह वित्त वर्ष 2014 के 22.1 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 23.4 घंटे हो गए हैं।

(ग) : आरडीएसएस का उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना का लाभ उठाते हुए विद्युत वितरण यूटिलिटी की दक्षता और वित्तीय स्थिति में सुधार लाना है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

I. चयनित शहरों के लिए स्काडा (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण)/डीएमएस(वितरण प्रबंधन प्रणाली) का कार्यान्वयन।
II. उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) के भाग के रूप में स्मार्ट मीटर, रियल टाईम में विद्युत खपत के आंकड़े प्रदान करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अपने उपयोग के प्रबंधन में मदद मिलती है और यूटिलिटी को बिजली चोरी का पता लगाने और उसे रोकने में सक्षम बनाया जाता है।
III. सबस्टेशनों, पारेषण लाइनों और भूमिगत केबलिंग सहित वितरण अवसंरचना के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के कार्यों को मंजूरी दी गई है।

मंत्रालय ने सामरिक रूप से विभिन्न उपायों को लागू किया है और स्मार्ट मीटर कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ जारी की हैं, जिनमें स्मार्ट मीटरों का चरणबद्ध कार्यान्वयन, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना, चेक मीटर लगाना, स्मार्ट मीटरिंग अपनाने के लिए उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु एएमआईएसपी/वितरण यूटिलिटी द्वारा प्रभावी उपभोक्ता जुड़ाव योजना आदि जैसे कदम शामिल हैं। वर्तमान में, उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटरों की स्वीकार्यता बढ़ी है।

(घ) : आरडीएसएस के अंतर्गत, डिस्कॉम कर्मियों का नियमित आधार पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण किया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट मीटरिंग पर मॉड्यूल शामिल हैं। अब तक, 9226 यूटिलिटी कर्मचारियों (लाइनमैन, तकनीशियन और गैर-तकनीकी कर्मचारियों सहित) को नए मीटरिंग कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

****